कम्प्यूटर परिपत्र सं0 1415098 दि0 04-12-2014

प0सं0/एडी0कमि0कैम्प-2014-15/ – 894, /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उार प्रदेश
(एडीशनल कमिश्नर कैम्प)
लखनऊ :: दिनांक ::दिसम्बर 02, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत है कि सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुद्रित होने वाले सभी प्रकार के फार्म्स की पर्याप्त मात्रा प्रत्येक कार्यालय में उपलब्ध है और इनका वितरण फार्म माड्यूल के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय पर इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आये हैं कि उक्त फार्म्स की प्राप्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर सम्बन्धित असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा खातापाल की रिपोर्ट की अपेक्षा की जा रही है और उक्त खातापाल द्वारा फर्म/सम्व्यवहारी से पूर्ववर्ती कर-निर्धारण अवधि के रिटर्न्स की प्रति की मांग की जाती है और उक्त प्रति प्राप्त होने पर ही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिससे फार्म मिलने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

2- फार्म माड्यूल के अन्तर्गत सभी फर्मों/सम्व्यवहारियों को प्रदान किये गये फार्म्स और उनके द्वारा उपयोग किये गये फार्म्स का विवरण आनलाइन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ई.संचरण सुविधा के अन्तर्गत डाउन लोड एवं प्रयोग किये गये फार्म्स का विवरण भी विभागीय वेवसाइट पर उपलब्ध है। अत: ऐसी स्थिति में खातापाल की रिपोर्ट की विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती किन्तु यदि रिपोर्ट ली ही जानी है तो इसे तत्काल प्राप्त कर लिया जाना चाहिए और इसके लिये रिटर्न की प्रति या अन्य किसी अभिलेख की अपेक्षा किया जाना अनुचित है। प्रत्येक स्थिति में फर्म/सम्व्यवहारी को फार्म उसी दिन प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

3- अत: अनुरोध है कि कृपया अपने जोन के समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर्स (क0नि0) जो कि फार्म वितरण के लिये खण्ड स्तर पर उत्तरदायी हैं, को निर्देशित करने का कष्ट करें कि फर्म/सम्व्यवहारी को फार्म प्रदान करने में अनावश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति में समय नष्ट न किया जाये। विभागीय वेवसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर आवश्यक जांच करके फार्म के लिये आवेदन की तिथि पर ही आवश्यक मात्रा में फार्म्स (अग्रिम कर की वस्तुओं के अतिरिक्त) उपलब्ध करा दिये जायें। फार्म्स की पर्याप्त उपलब्धता एवं फार्म माड्यूल में उपलब्ध पर्याप्त सूचनाओं के बावजूद यदि फार्म वितरण में विलम्ब का प्रकरण संज्ञान में आया तो इस पर प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

02/12/14
(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0- व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0)संभाग-ए, लखनऊ/ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0)संभाग-बी नोएडा, नोडल अधिकारी फार्म्स।

02/12/14
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।